□ जनपद- हाथरस ।□

♦□ प्रेस नोट ♦□

□ दिनांक- 24.09.2025□

!!□ थाना साईबर क्राइम पुलिस द्वारा बीमा कम्पनी का फर्जी सीईओ/कस्टमर केयर बनकर छल फरेब कर व फर्जी दस्तावेजों की कूट रचनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 7000/- रूपये नगद, सिम कार्ड, मोबाइल फोन कीपैड, मोबाइल स्मार्टफोन, लैपटाप, चार्जर व डेविट कार्ड आदि बरामद तथा 08 लाख रुपए फ्रीज कराए गए है। !!□

अवगत कराना है कि दिनांक 07.08.2025 को वादी श्री मनोज कुमार जैन पुत्र कैलाश नाथ जैन निवासी भूरापीर गली न0 03 थाना कोतवाली हाथरस जनपद हाथरस द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि वह सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसने अलग-अलग कम्पनियों में करीब 09 पॉलिसी ली थी । अभियुक्तगण द्वारा जीवन बीमा सेटलमेंट कम्पनी का सीईओ/फाउन्डर तथा कस्टमर रिलेशन ऑफीशर बताकर छल फरेब कर व फर्जी दस्तावेजों की कूट रचनाकर कुल 46 लाख रुपये का साइबर फ्राड किया है । जिसके उपरांत वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार थाना साइबर क्राइम हाथरस पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय/साइबर क्राइम के नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस को घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में पुलिस टीम के कठिन परिश्रम व अथक प्रयासोपरान्त संकलित साक्ष्यों व टेक्निकल इंटेलिजेंस आदि से प्राप्त लाभप्रद सूचना के संकलन से आज दिनांक 24.09.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा बीमा कम्पनी का फर्जी सीईओ/कस्टमर केयर बनकर छल फरेब कर व फर्जी दस्तावेजों की कूट रचनाकर साइबर फ्रॉड करने वाले वाले 01 अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे 7,000/- रूपये नगद, 06 सिम कार्ड, 02 मोबाइल फोन की पैड, 02 मोबाइल स्मार्टफोन, 02 लैपटाप, 02 चार्जर, एक डेबिट कार्ड बैंक आफ बडौदा आदि बरामद हुए । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह अपने सहअभियुक्ता के साथ मिलकर फर्जी सिम खरीद कर लोगों से फोन कर अपनी बातों में फंसाकर उनके साथ साइबर फ्राड करता है । तथा काम होने जाने के बाद सिम को तोडकर फेंक देता है । और भिन्न-भिन्न खाताधारकों के खातों मे रूपये ट्रान्सफर कराकर उन्हें 5-7% कमीशन देकर पैसे अपने खातों में ट्रान्सफर करा लेता था । अभियुक्त द्वारा ही फर्जी नामों से मोबाईल नम्बर बदल-बदल कर उक्त मुकदमे के वादी मनोज जैन को बीमा सैटलमैन्ट करने कि लिये काल किया था व एक बार अपने मोबाइल नम्बर 9354143907 से भी एक बार मैनें मनोज जैन को काल कर लिया था तथा सहअभियुक्ता जो मेरे साथ काम करती है उसने भी वादी मनोज जैन को बीमा सैटलमैन्ट करने कि लिये काल किया था । आरती उपरोक्त को मैने फ्राड करने के उपरान्त मिले पैसो में से करीब 4 लाख रुपये दिये थे व फ्राड का पैसा जिन खातो में मैने डलवाया उन खाताधारकों 5-7 % कमीशन देकर PAY QUICK के नाम से सागरपुर बेस्ट दिल्ली के एकाउण्ड में पैसे ट्रान्सफर करा लिये और उन्हें 2-3% का कमिशन देकर नगद पैसे ले लिए । साइबर फ्राड के पैसो को मैने अपने भौतिक खर्चो एवं शौक मौज में खर्च कर लिया है । शेष बचे 8 लाख रुपये की एफडी अपनी पत्नी के कोटक महिन्द्रा बैंक के खाते में करा दी है ।

उक्त घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम सक्रिय है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. शिवम ठाकुर पुत्र उमेश निवासी बी-27 हर्ष देव पार्क बुद्ध विहार फेस 02 बुद्ध विहार नार्थ वेस्ट दिल्ली मूल निवासी गांव दिवाकरपुर तहसील अरैया जिला बस्ती उत्तप्रदेश

बरामदगी का विवरणः-

1- 7000 रुपये नगद
2- 06 सिम कार्ड
3- 02 मोबाइल फोन की पैड
4- 02 मोबाइल स्मार्टफोन
5- 02 लैपटाप
6- 02 चार्जर
7- एक डेविट कार्ड बैंक आफ बडौदा
8- 08 लाख रुपए फ्रीज कराए गए है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0- 34/25 धारा 318(4) /338/336(3)340(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद हाथरस।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

निरीक्षक श्री आशीष कुमार थाना साइबर क्राइम मय टीम जनपद हाथरस।

MEDIA CELL HATHRAS